1

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 08.03.2022

अपील संख्या 17/2022

उनवान

1– भैरूलाल आत्मज नानूलाल, आयु 75 वर्ष

2– देवजी आत्मज बरधा उर्फ बरधीलाल, आयु 60 वर्ष

3– अनार सिंह आत्मज बरधा उर्फ बरधीलाल, आयु 45 वर्ष

4– राय सिंह आत्मज बरधा उर्फ बरधीलाल, आयु 65 वर्ष

जाति गूर्जर, निवासीगण सालकी डूंगरी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– जुम्मा खां आत्मज चमन खां, जाति मुसलमान, निवासी सालकी डूंगरी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– द स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2022

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 35/दावा/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम सालकीडूंगरी पटवार हल्का टांडीसोहनपुरा, तहसील असनावर की नयी खाता संख्या 32 की खसरा संख्या 189 रकबा 0. 2023 हेक्टर व खसरा नम्बर 226 की 0.0506 हेक्टर कुल 0.2529 हेक्टर वादी के तन्हा खाते काश्त की आराजी है। वादी का उक्त आराजी पर अनवरत रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी के खाते एवं कब्जे में है। उक्त आराजी में सिंचाई का स्त्रोत्र नहीं होने के कारण वादी केवल बारिश की फसल ही ले पाता है। प्रतिवादीगण सालकीडूंगरी के निवासी हैं एवं आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति है तथा वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है । दिनांक 24.06.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जबरन पत्थर डाल दिये एवं वादी को धमकी दी। यदि प्रतिवादी आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये तो वादी को सारवान क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगी जिस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वह वादी के खाते की आराजी पर जबरन प्रवेश ना करें और ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोरोना काल समाप्त होने के बाद सुनवायी हेतु अपीलांटगण प्रतिवादीगणों को कोई सूचना जारी किये बगैर एक तरफा आदेश पारित कर दिया । स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

दावा दायरी की तिथि को विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त साबित हुए बिना तहसील रिपोर्ट के विपरीत बिना कब्जे के दावा डिक्री किया है। वादी का वाद बिना साक्ष्य व कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है। अपीलांट ने पूर्व में कोई अपील पेश नहीं की है । विवादित भूमि पर कब्जा (खलियान) की भूमि होने से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान के तहत हक काश्तकारी से है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2021 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.01.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आदेश 14 सी. पी. सी., सी. पी. सी. आदेश 14 नियम 2, सी. पी. सी. आदेश 14 नियम 20, आर.आर. डी. 2016 पेज 135, आर.बी.जे. 1999 पेज 281, आर.बी.जे. (21)14 पेज 671, आर.बी.जे. 1997 पेज 304, आर.बी.जे. 2019 पेज 133, आर.आर.डी. 2011 पेज 589, आर.आर.डी. 2011 पेज 81, आर.आर.डी. 2015 पेज 16 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । तहसीलदार असनावर की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 226 पर कोई विवाद नहीं है मौके पर आराजी खाली पड़ी हुई है एवं खसरा नम्बर 189 पर प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा पत्थर की कोट कर

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बाडा बना रखा है, जो विवादित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– भैरूलाल आत्मज नानूलाल, आयु 75 वर्ष
2– देवजी आत्मज बरधा उर्फ बरधीलाल, आयु 60 वर्ष
3– अनार सिंह आत्मज बरधा उर्फ बरधीलाल, आयु 45 वर्ष
4– राय सिंह आत्मज बरधा उर्फ बरधीलाल, आयु 65 वर्ष जाति गूर्जर, निवासीगण सालकी डूंगरी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– जुम्मा खां आत्मज चमन खां, जाति मुसलमान, निवासी सालकी डूंगरी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
2– द स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **17 / 2022** एवं मु.द.नं0 **35 / दावा / 2019**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, असनावर**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **22.12.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **09** सन् **2022**

हाजरी **श्री उत्पल शर्मा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 22.12.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27** माह **09** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(मोहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)